

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 43/2013/श्रीगंगानगर.

मैसर्स पेमराज ताराचन्द, श्रीगंगानगर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन-द्वितीय, आबूरोड़.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 29/10/2015

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 360/आरवैट/श्रीगंगानगर/2011-12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 20.11.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़ (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 22.11.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अस्वीकार की है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट-प्रथम, आबूरोड़ द्वारा दिनांक 21.11.2011 को मावल NH 27 पर वाहन संख्या आर.जे.07/जीए-0762 को चैक किये जाने पर वाहन में श्रीगंगानगर से जगाना (पालनपुर) के लिये 16470 किग्रा. 'अरण्डी' परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित बिल संख्या 3518 दिनांक 16.11.2011; बिल्टी संख्या 3117 दिनांक 16.11.2011 एवं युनाईटेड इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की रसीद संख्या 112866 दिनांक 16.11.2011 पेश किये गये। सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन में परिवहनित अधिसूचित श्रेणी के माल के साथ घोषणा प्रपत्र वेट-49 नहीं पाये जाने पर माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन होना मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति




लगातार.....2

आरोपण हेतु कारण बताओ नोटिस प्रत्यर्थी को जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 22.11.2011 के साथ घोषणा प्रपत्र वैट-49 संख्या 5273493 पेश करते हुए जाहिर किया गया कि अरण्डी ऑयल सीड्स नहीं होने से अधिसूचित माल की श्रेणी में नहीं आने के कारण घोषणा-पत्र वैट-49 संलग्न नहीं किया गया, जो इस जवाब के साथ पेश कर रहे हैं। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के जवाब एवं इसके साथ प्रस्तुत घोषणा प्रपत्र को अस्वीकार किया जाकर माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के उल्लंघन के लिये प्रत्यर्थी के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 1,96,187/- आरोपित करने का आदेश दिनांक 22.11.2011 पारित किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.2012 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि वक्त जांच माल से सम्बन्धित बिल व बिल्टी प्रस्तुत कर दिये गये थे, जिनमें किसी प्रकार की त्रुटि सक्षम अधिकारी द्वारा इंगित नहीं की गयी है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा पूर्व में भी अरण्डी राज्य के बाहर विक्रयार्थ भेजी गयी है, जिनके साथ भी घोषणा-पत्र वैट-49 संलग्न नहीं किया गया था तथा इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई आक्षेप नहीं किया गया था। अतः अपीलार्थी द्वारा सद्भाविक रूप से बिना घोषणा-पत्र के माल भिजवाया जा रहा था। सक्षम अधिकारी के कारण बताओ नोटिस की पालना में पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा-पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2001) 124 एस.टी.सी. 611 मैसर्स डी.पी.मैटल्स की पालना हो जाती है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2014) 76 वी.एस.टी. 286 व 438 का हवाला देते हुए अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. बहस के दौरान प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश व शास्ति आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि वक्त जांच वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित घोषणा प्रपत्र वैट-49 माल के साथ नहीं पाया जाना वेट अधिनियम की धारा 76(2)(बी) सपठित नियम 53 के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। सक्षम अधिकारी के नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब के साथ संलग्न घोषणा प्रपत्र वैट-49



अपीलार्थी व्यवहारी की शास्ति से बचने हेतु बाद की सोच का परिणाम होने से स्वीकार योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की ओर से जवाब के साथ पेश किये गये घोषणा प्रपत्र को अस्वीकार करते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों पर एवं विधिक प्रावधानों पर समुचित रूप से विचार करने के उपरान्त अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2001) 124 एस.टी.सी. 611 मैसर्स डी. पी. मैटल्स में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार वक्त जांच केवल वे ही दस्तावेज प्रस्तुत किये जा सकते हैं, जो कि वक्त जांच अस्तित्व में मौजूद हों, ना कि नोटिस की पालना में तैयार किये जाकर प्रस्तुत किये जायें। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के अनुसार वांछित दस्तावेजों की अनुपलब्धता एवं अपूर्णता के आधार पर शास्ति का आरोपण उचित है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति आदेश की पुष्टि किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 21.11.2011 को चैक किये गये वाहन में परिवहनित माल के दस्तावेजों के साथ घोषणा प्रपत्र वेट-49 नहीं पाये जाने पर जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब दिनांक 22.11.2011 के साथ घोषणा प्रपत्र वेट-49 संख्या 5273493 प्रस्तुत करते हुए जाहिर किया गया कि अरण्डी ऑयल सीड्स नहीं होने से अधिसूचित माल की श्रेणी में नहीं आने के कारण घोषणा-पत्र संलग्न नहीं किया गया, तथा नोटिस की पालना में नया बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। जवाब का सन्दर्भित अंश इस प्रकार है :-

3) That the application concern had not attached the said requisite form VAT 49 for the bona-fide belief and reason that 'Arandi Seed' is not an oil seeds and therefore, the form 49 was not required. That the said belief was further confirmed on account of the fact that the application had very recently sold the same goods to the same party vide details attached on a separate consignments and had not attached the form 49A with any of the vehicles dispatched.



4) That the details of the VAT 49 form issued to the applicant along with the details of issue of the said form is also stated on a separate sheet in proof of the fact that the application had attached VAT 49 in respect of Binola Seeds only and no form was attached with Arandi Seed.

5) That owing to this belief, **the application did not issue any VAT 49 form** the above stated consignment under consideration.

7. उक्त जवाब से यह स्पष्ट है कि संव्यवहार के समय घोषणा-पत्र वैट-49 अस्तित्व में मौजूद नहीं था, बल्कि सक्षम अधिकारी के कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के पश्चात नया तैयार किया जाकर प्रस्तुत किया गया है। उक्त घोषणा-पत्र माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स डी.पी.मेटल्स के निर्णय (2001) 124 एस.टी.सी. 611 में प्रतिपादित सिद्धान्त की पालना में स्वीकार्य नहीं है। माननीय न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

".....If by mistake some of the documents are not readily available at the time of checking, principles of natural justice may require some opportunity being given to produce the same."

8. उक्त निर्णय का यह आशय नहीं है कि नोटिस की पालना में नया दस्तावेज तैयार कर प्रस्तुत किया जा सकता है, बल्कि स्पष्ट आशय है कि जो दस्तावेज संव्यवहार के दौरान अस्तित्व में मौजूद हो, तथा भूलवश वक्त जांच प्रस्तुत किये जाने से रह गया हो, तो वह नोटिस की पालना में प्रस्तुत किया जा सकता है।

9. राज्य से बाहर माल निर्यात किये जाने हेतु घोषणा-पत्र वैट-49 के सम्बन्ध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 का नियम 54 निम्न प्रकार है :-

54. Declaration required to be carried with the goods in movement for export out of Rajasthan or in the course of inter-State trade or commerce. -

- (1) A registered dealer who dispatches any taxable goods, except those as may be notified by the State Government, to a place outside of the State,-
 - (i) for sale outside the State or by way of branch transfers/depot transfers/stock transfers, except the goods as may be notified by the State Government; or
 - (ii) in the course of inter-State trade or commerce, as may be notified by the State Government; or
 - (iii) in the course of export as defined in sub-section (3) of section 5 of the Central Sales Tax Act, 1956, as may be notified by the State Government;



shall furnish or cause to be furnished declaration Form VAT-49 completely filled in all respect in ink and ensure that the value, date and month of use of such Form shall be punched at the specified place provided for in the Form. Such dealer shall retain the counterfoil of the Form VAT-49 with him and the portions marked 'Original' and 'Duplicate' shall be carried with the goods in movement. However, where goods covered under single invoice are being carried in more than one vehicle, separate Form VAT-49 shall be accompanied with each of such vehicles along with photo copy of the original invoice and challan of the goods carried in the vehicle.


10. उक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि राज्य से बाहर माल निर्यात किये जाने हेतु घोषणा पत्र वैट-49 बाध्यकारी रूप से माल के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त दस्तावेज वक्त संब्यवहार एवं चैकिंग अस्तित्व में नहीं था। ऐसी स्थिति में नियम 54 के बाध्यकारी प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जाना प्रमाणित होता है।

11. अपीलार्थी व्यवहारी का यह तर्क रहा है कि परिवहनित माल 'अरण्डी सीड्स' अधिसूचित माल की श्रेणी में नहीं आने के कारण वक्त परिवहन घोषणा-पत्र वैट-49 की आवश्यकता नहीं थी। किन्तु अपीलार्थी व्यवहारी का यह तर्क चलने योग्य नहीं है। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(85) एफडी/टैक्स/2009-24 दिनांक 08.07.2009 में ऑयल सीड्स को अधिसूचित वस्तु घोषित किया गया है। अधिसूचना दिनांक 08.07.2009 निम्न प्रकार है :-

S.No. 2515 No. F.12(84)FD/Tax/2009-24 Dated 08.07.2009

S.O. 109.- In pursuance of clause (ii) of sub-rule (1) of rule 54 of the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006 read with sub-section (2) of section 79 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), and in supersession of all the notifications issued in this behalf, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby notifies the following goods for the purpose of said clause, namely :-

1. Jeera
2. Iron and Steel including stainless steel
3. Soya bean
4. Gram (Chana) and its Dal
5. Dhania
6. Tendu Patta
7. Raw of refined edible oil
8. Oil Seeds



12. इसी प्रकार केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 14 में 'अरण्डी (Castore)' को ऑयल सीड्स माना गया है। धारा 14 का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

Section-14. Certain goods to be of special importance in inter-State trade or commerce -

It is hereby declared that the following goods are of special importance in inter-State trade or commerce:-

(vi) oilseeds, that is to say,-

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)


(vii) Castor (*Ricinus communis*);

13. इस प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी का यह तर्क मान्य नहीं है कि 'अरण्डी (Castor)' अधिसूचित वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आने से वक्त परिवहन घोषणा-पत्र वैट-49 की आवश्यकता नहीं रहती है।

14. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया है कि :-


".....For the aforesaid reasons, we hold that section 78(5) of the RST Act 1994 (Section 22A(7) of the RST Act, 1954) is the section enacted to provide remedy for loss of revenue and it is not enacted to punish the offender for committing economic offence and, therefore, mens rea is not an essential ingredient for contravention of Section 78(2) of the RST Act 1994. That, **the breach of Section 78(2) would attract the levy of penalty under Section 78(5) in cases where the goods in movement have travelled with an incomplete Form No. 18A/18C**"

15. उक्त निर्णय का स्पष्ट आशय है कि अधिनियम की धारा 78(2) [वैट अधिनियम की धारा 76(2)] के प्रावधानों के उल्लंघन से सम्बन्धित प्रकरणों में करापवंचन की मनोदशा को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है तथा वांछित दस्तावेजों के अपूर्ण होने की दशा में धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपणीय है।



लगातार.....7

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक अन्य प्रकरण एस.एल.पी. (सिविल) नं० 2207/2008 (2010) 01 RGSTR-D 014 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स आशियाना इस्पात लि० में निर्णय दिनांक 11.9.2008 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जांच के वक्त प्रमाणिक दस्तावेज नहीं पाये जाने पर विधिक प्रावधानों का पालन नहीं होता है तथा वांछित दस्तावेजों के अभाव में शास्ति आरोपणीय है।
17. माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रासांगिक नहीं होने से अपीलार्थी व्यवहारी को कोई सहायता नहीं पहुंचाते हैं।
18. उक्त विवेचन के मद्देनजर प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के जवाब के साथ प्रस्तुत घोषणा प्रपत्र को अस्वीकार करते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों के उल्लंघन में माल परिवहन हेतु उसके विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण पूर्णतया विधि अनुसार किया गया है।
19. माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स डी.पी.मेटल्स के निर्णय (2001) 124 एस.टी.सी. 611 में भूलवश दस्तावेज पीछे छूटने व जवाब के साथ पेश करने पर उसे अधिनियम की धारा 78(2) / वेट अधिनियम की धारा 76(2) की पालना मानी गई है। प्रस्तुत प्रकरण में घोषणा प्रपत्र भूलवश पीछे छूटने का तथ्य विवादित नहीं होने के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित करने में कोई भूल नहीं की गयी है, इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश की पुष्टि किये जाने में भी किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना दृष्टिगोचर नहीं होता है।
20. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।
21. निर्णय सुनाया गया।


 29.10.2015
 (मनोहर पुरी)
 सदस्य